श्रममंत्री के संरक्षण में मज़दूरों का शोषण

बवानी ओवरसीज में मज़दूरों के हाल बदतर; एक महिला मज़दूर ने उठायी आवाज

फ़रीदाबाद (नागरिक) कारखानों के शहर फ़रीदाबाद में सेक्टर 24 में एक कारखाना वबानी ओवरसीज लिमिटेड के नाम से हैं। इस कारखाने में 250-300 मज़दूर काम करते हैं। इनमें से दो तिहाई महिला मज़दूर है कारखाने में मुख्यत: विदेशों में बेचने के लिये रेडीमेड कपड़े तैयार होते हैं यहां तैयार होनेवाले कपड़े जितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं उसी अनुपात में बदतर हालात यहां के मज़दूरों के हैं। यहां आमतौर पर पुरूष मज़दूरों से 18 घंटे और महिला मज़दूरों से 12 घंटे काम करवाया जाता है। कारखाने में आने के बाद कोई मज़दूर उक्त काम के घंटों को पूरा किये बिना बाहर न चला जाय, प्रबंधक मुख्य द्वार पर अंदर से ताला लगवा देता है। फ़रीदाबाद के तमाम कारखानों की तरह यहां भी श्रम कानून नाममात्र को भी लागू नहीं होते। यहां काम कर रहे मज़दूरों को लड़-झगड़कर अपना ई.एस.आई. कार्ड लेना पड़ता है। जिसमें संघर्ष करने का गुण नहीं होता, उसे कभी इस कारखाने से ई. एस.आई कार्ड नहीं मिल सकता। निकाले गये या काम छोड़ गये मज़दूरों का पी. एफ.फार्म भरने को मज़दूरों से दसियों चक्कर लगवाये जाते हैं। कारखाने में बोनस का नाम भी लेने वाले को मुजरिम समझा जाता है। कारखाने के प्रबंधक मज़दूरों को कानून द्वारा प्रदत्त किसी तरह की कोई कच्ची-पक्की छुट्टी नहीं देते। किसी हारी बीमारी, दु:ख-तकलीफ में कोई छुट्टी कर ली तो उससे किसी बड़े गुनाहगार जैसा व्यवहार किया जाता है। घर-परिवार बच्चों की जिम्मेदारी संभालते हुए नौकरी करने वाली महिलाओं से कहा जाता है कि अगर पांच मिनट भी देर हुई तो पूरी हाजिरी कट जायेगी। पूरे कारखाने में जहां लगभग 300 लोग काम करते हैं सिर्फ चार शौचालय हैं जिसमें ज़्यादातर समय दो बंद ही रहते हैं। शौचालय जाने के लिये प्रबंधकों ने पास सिस्टम बना रखा है। हर लाईन में जहां 40-50 लोग काम करते हैं दो पास रखे गये हैं, बिना पास कोई लाईन छोड़कर नहीं जा सकता है।

जब कभी श्रम विभाग के लोग कारखाने का मुआयना करते हैं तो उन्हें कम से कम चढ़ावा देना पड़े, इसके लिये प्रबंधक अपनी काली करतूतों को छुपाने की खुब कोशिश करता है। वे मज़दूरों को बड़े प्यार से समझाता है कि मत बताना कि जबरन ओवरटाइम पर रोकते हैं। कहना कि 7 तारीख को तनख्वाह देते है। हर दिन टारगेट जो पेंसिल से लिख कर देते हैं। श्रम विभाग वालों के आने पर रबड़ से मिटा दिया जाता है। कहते हैं कि बताना मत कि हमें टारगेट देकर काम कराते हैं। कहतें हैं कोई परेशानी मत बताना, कहना सब ठीक है। हम बहुत खुश हैं। मज़दूर कहते हैँ कि हमारी समझ में ये नहीं आता कि जब भी श्रम विभाग का छापा होता है। प्रबंधकों को पहले ही कैसे पता चल जाता है। उन्हें तो सब मिलीभगत लगती है।

कारखाने में काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है। पूरे दिन में एक मिनट की भी फुरसत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा काम के साथ प्रबंधकों को बेहतर क्वालीटी भी चाहिए होती है। इसके लिए सुपरवाइजर, फ्लोर इंचार्य सारे दिन सिर पर चढ़े रहते हैं और काम-काम का शोर मचाते हैं। महिलाओं को अंधी, बेशर्म, बदतमीज, शर्म तो है नहीं, गधे की तरह आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मज़दूर जो 12-18 घंटे तक हाड़तोड़ मेहनत करते है उनकी तनख्वाह 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। उक्त कारखाने के प्रबंधकों को हरियाणा सरकार द्वारा तय सबसे न्यूनतम वेतन देकर अधिकतम काम लेने में महारत हासिल है। कारखाने के प्रबंधक अक्सर मज़दूरों के साथ मीटिंग करते हैं और जबरन मज़दूरों को इन मीटिंगों में बैठाया जाता है और इस समय का कोई पैसा नहीं दिया जाता। गौरतलब है कि इन मीटिंगों में मज़दूरों की समस्याओं से संबंधित कोई बात नहीं होती। सिर्फ काम और क्वालिटी की बात होती है। उक्त कारखाने में लगभग सारा काम स्थाई प्रकृति का और मशीनों पर होने वाला काम है। कानूनन इस काम के लिये ठेकेदारी के तहत मज़दूर नहीं रखे जा सकते। मगर इस कारखाने में अधिकतर मज़दूरं ठेकेदारों के तहत ही रखे गये हैं। मज़दूरों ने न ठेकेदारों की कभी शक्ल देखी न किसी भी तरह उन्हें जानते हैँ। सारा काम भर्ती करना, तनख्वाह देना काम कराना प्रबंधन कराता है। मगर इस सर्वव्यापी ठेकेदारी का जलवा यहां भी चलता रहता है। गौरतलब है कि इस कारखाने से चंद कदमों की दूरी पर हरियाणा के श्रम मंत्री शिवचरण लाल शर्मा का निवास स्थान है। जो अक्सर अख़बारों के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा पर काग़ज के गोले बनाकर हमला करते रहतें हैं। इन्हीं गोलों के बदले कारखानेदार उन्हें मोटा पैसा देकर श्रम कानूनों की उल्लंधना जारी रखते हुए बेखौफ़ होकर मज़दूरों का शोषण करते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि श्रम विभाग का प्रत्येक कर्मचारी मंत्रीजी को मोटे पैसे देकर यहां नियुक्ति पाता है और नियुक्ति बनाये रखने के लिये मंत्री जी को मंथली अलग से देनी पड़ती है। ऐसे में श्रम विभाग के लोग कारखानेदारों से मिलीभगत नहीं तो और क्या करेंगे ?

कारखाने के इस माहौल से सभी मज़दूर परेशान होते हुए भी इसी माहौल को अपनी नियति मानकर अपनी जिंदगी और कारखाने दोनों को चला रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में कारखाना मालिक की जिंदगी उसकी उम्मीदें उसके शौक उसके सपने तो चांद पर घर बनाने को हो रहे हैं। मगर मज़दूर तमाम उम्र कोल्हू के बैल की तरह कारखाने और अपनी आधुनिक झोपड़ी के गोल चक्कर लगाने को अभिशप्त है।

इसी माहौल में तमाम महिला मज़दूरों की तरह एक महिला मज़दूर रीता पिछले एक साल से उक्त कारखाने में काम कर रही थी। रीता की एक खासियत यह थी वह प्रबंधकों की मनमानी के खिलाफ कभी कभार विरोध के स्वर उठाती थी। प्रबंधकों को उसका बोलना बहुत अखरता था। सो एक दिन अचानक प्रबंधकों ने रीता से कहा कि कल से काम पर मत आना। रीता ने अपना कमाया वेतन मांगा तो उन्होंने कहा पहले इस त्याग पत्र पर हस्ताक्षर करो तब 10 तारीख को आकर अपनी तनख्वाह ले जाना। रीता ने किसी तरह के हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और बाहर आ गयी। रीता ने इंकलाबी मज़दूर केंद्र के कार्यकर्ताओं से बात की और आंदोलन करने की योजना बनाई।

28 दिसंबर की सुबह आठ बजे रीता और इंकलाबी कार्यकर्ता कारखाने के गेट पर पोस्टर, पर्चों और तख्तियों के साथ जम गये। आने जाने वाले सभी मज़दूरों में कारखाने का भंडाफोड़ पर्चा बांटा गया। इसकी भनक जैसे ही प्रबंधकों को लगी तो उनके होश फाख्ता हो गये। फटाफट उन्होंने सभी आंदोलनकारियों से हाथ जोड़ प्रार्थना की कि यह सब बंद करें और अंदर चलकर बैठें। यहां बहुत ठंड है। बड़े साहब आ रहे हैं। आपकी सभी मांगे मानी जायेंगी।

इस पर सभी लोग तो नहीं पर रीता को अंदर बात करने के लिये भेजा गया। फिर एक इंकलाबी कार्यकर्ता ने भी बात में हिस्सेदारी की और रीता को कमाये वेतन से अलावा एक तनख्वाह की रकम देने की बात प्रबंधकों ने स्वीकारी। इस पर रीता ने अपनी संतुष्टि जाहिर की और आंदोलन समाप्त हुआ। आंदोलन को और आगे बढ़ाने की बात इंकलाबी कार्यकर्ता कह रहे हैं, मगर इससे पहले इंकलाबी अंदर के मज़दूरों के बीच आंदोलन की समझ पैदा करना और एकता के महत्व को स्थापित करना चाहते हैं।

ठेकेदारी प्रथा, श्रम कानूनों का उल्लंघन और मज़दूरों के साथ प्रबंधन द्वारा जानवरों जैसा व्यवहार आदि पर रोक लगाना तभी संभव है जब सभी कारखानों के मज़दूर एकजुट होकर इसका मुकाबला करे। महिला मज़दूरों को तो कारखानों में शोषण के साथ जिल्लत अपमान भी झेलना पड़ता है। ऐसा इसलिये होता है कि मालिक मज़दूरों को सबसे सस्ती व मज़बूर श्रमिक समझने के साथ गूगी गुड़िया भी समझते हैं। ऐसे में जब रीता जैसी महिला मज़दूर कभी अपने साथ होनेवाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे फैक्टरी से बाहर कर दिया जाता है। ऐसा बाकी मज़दूरों को भी सबक सिखाने के लिये किया जाता है और यह सब प्रबंधक और मालिकान इसलिए धड़ल्ले से करते हैं क्योंकि शासन-प्रशासन व श्रम विभाग से उनका गठजोड़ होता है। यहतब तक रहेगा जब तक सभी मज़दूर संगठित होकर इसका मुकाबला नहीं करते। बहरहाल रीता ने जो किया वह एक मिसाल है।

मैदान में डटे हैं मारुति सुजुकी के मज़दूर

मारुति सुजुकी (मानेसर) के मज़दूर प्रबंधन एवं सरकार द्वारा अपने ऊपर किये जा रहे दमन के खिलाफ़ संघर्षरत हैं। इस बीच उन्होंने राज्य के तमाम मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सभी के सामने अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी बयां की लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। शासन-प्रशासन की प्रबंधन के साथ गठजोड़ को देख अब मज़दूर अपनी मांग को जनता की अदालत में ले जाने की ओर बढ़े हैं। इसी क्रम में उन्होंने प्रदेश के कई इलाकों में साइकिल रैली निकाली एवं सभी साइकिल रैली के जत्थों द्वारा 27 जनवरी को रोहतक मुख्यमंत्री आवास को घेरने की योजना बनाई। शासन-प्रशासन द्वारा इस दौरान भी मज़दूरों का दमन जारी रहा।

विदित रहे कि मारुति सुजुकी, मानेसर (गुड़गांव) के मज़दूरों ने वर्ष 2011 में यूनियन रजिस्ट्रेशन की मांग को लेकर 3 बार जुझारू तरीके से आंदोलन किया था। उनके आंदोलन की धमक इतनी थी कि खुद देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शांतचित मुखमुद्रा में बेचैनी बढ़ गयी और उन्होंने राज्य सरकार से तुरंत मामले को हल करने को कहा। और मज़दूरों ने लड़कर यूनियन रजिस्ट्रेशन हासिल किया था। तब से पूंजीपतियों की आंखों में चुभस रहे थे। प्रबंधन ने इन मज़दूरों की एकता को तोड़ने के लिये कई चालें चलीं। आखिरकार 18 जुलाई 2012 को वह सफल हो गया। जब पुलिसकर्मियों की फैक्ट्री परिसर में मौजूदगी में उसने बाहर से मंगाये बांउसरों (गुंडों) द्वारा मज़दूरों को उकसाया एवं मज़दूरों से मारपीट करवायी जब मज़दूरों ने पलटवार किया तब बांउसरों ने परिसर में आग लगा दी। उस आग में एच.आर.का मैनेजर जलकर मर गया। इसके बाद तब तक सोई हरियाणा पुलिस हरकत में आयी और मज़दूरों के ऊपर हत्या, आगजनी सहित दर्जनों मुकदमें लगाकर करीब 150 मज़दूरों को गिरफ़्तार कर लिया। फैक्टरी प्रबंधन ने तब मौके का फायदा उठाकर फैक्टरी बंद कर दी और इस घटना का बहाना बनाकर करीब 546 स्थाई मज़दूरों को बर्खास्त कर दिया। ट्रेनी एवं ठेकेदार के सभी 2000 मज़दूरों को काम से निकाल फैक्टरी चालू कर दी थी। 7 माह से मज़दूर जेल में बंद हैं। सरकार उनकी जमानत नहीं होने दे रही है। दूसरी ओर बर्खास्त मज़दूरों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।

पिछले 7 माह से मारुति के मज़दूर अपनी अवैध बर्खास्तगी एवं जेल में बंद साथियों की रिहाई को लेकर धरना प्रदर्शन, तथा मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक का ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं कई बार श्रम मंत्री से मिल चुके हैं लेकिन कहीं से भी उन्हें न्याय नहीं मिला। शुरूआत में बुर्जुआ एवं संशोधनवादी ट्रेडयूनियनों के पिछलग्गू बने नेतृत्व से इन मज़दूरों का कोई राहत नहीं मिली। इन ट्रेडयूनियन नेताओं को मारुति के मज़दूरों के आंदोलन को आगे बढ़ाकर पूरे क्षेत्र के मज़दूरों को गोलबंद कर ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने एवं संघर्षरत मज़दूरों को न्याय दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये यूनियन नेता आंदोलन के समर्थन में अपने से जुड़ी ट्रेड यूनियनों के माध्यम से विभिन्न फैक्टरियों में टूल डाउन कराने, हड़ताल कराने की इच्छा भी नहीं रखते थे। इन ट्रेड यूनियन नेताओं की कथनी एवं करनी में अन्तर को पहचानकर मज़दूरों में आंदोलन को तेज करने का मन बनाया और अपनी बात को जनता की अदालत में ले जाने की ठानी। इसी क्रम में 21 जनवरी से 26 जनवरी तक साइकिल रैलियां विभिन्न जत्थों के माध्यम से निकालना तय किया व 27 जनवरी को मुख्यमंत्री के आवास रोहतक में न्याय पंचायत एवं आवास घेराव का कार्यक्रम तय किया। 21 जनवरी को सिरसा तथा नारनौल से साइकिल रैली निकाली। 22 से 24 जनवरी को साइकिल रैली के जत्थे के जत्थे अम्बाला रेवाडी फ़रीदाबाद से शुरू हुए। रेवाड़ी से चलनेवाले जत्थे को विलासपुर के पास पुलिस ने रोका तथा सभी मज़दूरों को मय साइकिल ट्रक में भरकर झज्जर के पास छोड़ा। इस दौरान मज़दूरों को गाल-गलौच तथा अन्य धमकियां पुलिस द्वारा दी गयीं।

दूसरी तरफ पुलिस ने मज़दूरों के नए नेतृत्वकारी टीम के साथी इमान खान को प्रेस वार्ता के दौरान उठा दिया उन्हें भी वही मुकदमें लगाकर जेल में डाल दिया। जिसमें पहले से ही करीब 150 मज़दूर जेल में बंद हैं। जबकि 7 माह तक उन्हें नामजद ही नहीं किया गया था। सरकार मज़दूरों के जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने की कार्यवाही से बौखला गई और मज़दूरों में डर पैदा करने की मानसिकता से उसने यह कार्यवाही की लेकिन मज़दूर डरे नहीं बल्कि और जोशो-खरोश से सभी जत्थे 27 जनवरी को रोहतक पहुंचे। रोहतक में न्याय रैली हुई। इसमें करीब 4000 मज़दूरों ने भागीदारी की और एक स्वर में प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार की बहुर्राष्ट्रीय कम्पनी से सांठ-गांठ पर तीखा आक्रोश व्यक्त किया। रैली के बाद मज़दूर मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़े। हजारों की संख्या में पुलिसबल ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। डी.सी. द्वारा ज्ञापन लेने पर मज़दूर भड़क गये। वे मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की बात पर अड़ गये। तब मुख्यमंत्री के सचिव ने आकर मुख्यमंत्री के बीमार होने की बात कही और ज्ञापन लिया तब अब किसी भी मज़दूर को गिरफ़्तार नहीं किये जाने एवं मज़दूर प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से 13 फरवरी को वार्ता का समय दिया।

27 जनवरी को न्याय रैली के बाद मज़दूरों ने 5 फरवरी को प्रदर्शन का एलान किया तथा देश भर के क्रांतिकारी संगठनों-ट्रेड यूनियनों प्रगतिशील लोगों से आह्वान किया कि वे 5 फरवरी को मारुति के मज़दूरों के समर्थन में जगह-जगह प्रदर्शन करें। देश के करीब 14-15 राज्यों में 5 फरवरी को मारुति के मज़दूरों के संघर्ष के समर्थन में प्रदर्शन किये गये व मुख्यमंत्री हुड्डा हेतु विज्ञापन प्रेषित किये गये। इंकलाबी मज़दूर केन्द्र ने विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ मिलकर हरिद्वार, रुद्रपुर, बरेली, हल्द्वानी, रामनगर, मऊ तथा दिल्ली, फ़रीदाबाद, गुड़गांव की टीमों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रदर्शनों में भाग लिया। प्रदर्शनों एवं ज्ञापन द्वारा मांग की गयी कि मारुति के बेकसूर मज़दूरों को जेल से रिहा करो, घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, सभी 546 बर्खास्त स्थायी मज़दूरों व 2000 ठेका मज़दूरों को काम पर वापिस लो, न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये हो, ठेका प्रथा समाप्त करो, श्रम कानून लागू करो, आदि। 13 फरवरी को मुख्यमंत्री से वार्ता के जो भी परिणाम आयें, मारुति के मज़दूर अब लड़ाई को और आगे ले जाने की मानसिकता में आने लगा है।

-नागरिक